नाद-नर्तन
जर्नल ऑफ डांस एण्ड म्यूजिक
ISSN: 2349-4654
वर्ष : 14, अंक : 1, जनवरी 2026

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला का विरासती कलाओं के विकास में योगदान

डॉ. ज्योति शर्मा
सहायक आचार्य, संगीत विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला

सार-संक्षेप

भारतीय सांस्कृतिक विरासत अपनी ऐतिहासिक गहनता, कलात्मक विविधता और आध्यात्मिक संवेदना के कारण विश्वभर में विशिष्ट प्रतिष्ठा रखती है। इस विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करने में प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोधपत्र उत्तर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.ज़ेड.सी.सी.), पटियाला के उस बहुआयामी योगदान का विश्लेषण करता है जिसने संगीत, नृत्य, लोककला और जनजातीय परंपराओं जैसी विरासती कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार को नई दिशा प्रदान की है। 1985 में स्थापित इस केन्द्र ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, गुरु-शिष्य परम्परा, नौजवान प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार, अभिलेखन एवं प्रकाशन जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से न केवल लुप्तप्राय कला रूपों को पुनर्जीवित किया बल्कि ग्रामीण एवं उपेक्षित क्षेत्रों के कलाकारों को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गुरु-शिष्य योजना के अंतर्गत हजारों कलाकारों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, वहीं अभिलेखन गतिविधियों ने विरासत कलाओं के संरक्षण हेतु मूल्यवान दृश्य–श्रव्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराए। केन्द्र द्वारा संचालित उत्सवों और कार्यशालाओं ने उत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक साझा मंच पर प्रस्तुत कर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया। यद्यपि केन्द्र वित्तीय संसाधनों की कमी, डिजिटल प्रचार के अभाव तथा युवा पीढ़ी के बदलते सांस्कृतिक रुझानों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तथापि उपयुक्त वित्तीय सहयोग, तकनीकी आधुनिकीकरण और निजी–अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के माध्यम से इसकी कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। समग्रतः, एन.ज़ेड.सी.सी. पटियाला न केवल विरासत कलाओं का संरक्षणकर्ता है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक गतिशील केंद्र भी है जिसने परंपरा और आधुनिकता के मध्य सेतु स्थापित कर भारतीय सांस्कृतिक जीवन को नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि प्रदान की है।

मुख्य शब्दः राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, गुरु-शिष्य परंपरा, नवोदित प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार तथा अभिलेखन एवं प्रकाशन परियोजनाओं

शोध-पत्र

भारत की सांस्कृतिक विरासत अपनी विलक्षण विविधता, गहनता और समृद्धि के कारण सम्पूर्ण विश्व में विशिष्ट स्थान रखती है। सहस्राब्दियों से इस धरा पर अनेक संस्कृतियाँ, धर्म, भाषाएँ और कलाएँ पल्लवित-पुष्पित होती रही हैं, जिनके समन्वय से एक अद्वितीय परंपरा, सौन्दर्यमूलक कला, भव्य स्थापत्य, गंभीर साहित्य, गूढ़ दर्शन और जीवन मूल्यों की सुदृढ़ आधारशिला निर्मित हुई है। यह सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की गौरवगाथा भर नहीं बल्कि वर्तमान को दिशा देने और भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली प्रेरणाप्रद शक्ति भी है।

विरासत कला का अर्थ और परिभाषा

भारतीय संगीत के संदर्भ में विरासती कला से आशय उन पारंपरिक कलाओं से है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर संप्रेषित होती आई हैं। इन कलाओं में किसी समाज, क्षेत्र अथवा राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान, जीवन-दर्शन, ऐतिहासिक अनुभव और भावनात्मक सम्पदा का सार निहित रहता है। यही विरासत कलाएँ भारतीय संगीत और संस्कृति को उसकी विशिष्ट गरिमा और कालातीत महत्ता प्रदान करती हैं।दूसरे शब्दों में विरासती कलाएँ वे कलाएँ है जो किसी विशेष संस्कृति, समाज, परंपराओं, इतिहास और मूल्यों को दर्शाती है और जिन्हें आने वाली पीढ़ी के लिये संरक्षित किया जाता है। (निकम पृ.11) एक अन्य परिभाषा के अनुसार 'विरासती कला किसी समुदाय द्वारा विकसित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ है जो पीढ़ीयों के माध्यम से आगे बढ़ती है और मूर्त व अमूर्त दोनों मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। (विद्यालंकार पृ.11) विरासती कला की परिधि अत्यंत व्यापक है, जिसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला तथा साहित्य जैसी विविध कलाएँ सम्मिलित

होती हैं। विशेषतः संगीत और नृत्य को विरासत कला का प्राणतत्त्व माना गया है, क्योंकि ये दोनों न केवल किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करते हैं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को सजीव और सतत बनाए रखते हैं।

भारतीय संगीत के अंतर्गत शास्त्रीय, लोक, सुगम और भक्ति संगीत जैसी विधाएँ न केवल कलात्मक रूप से समृद्ध हैं बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसी प्रकार कत्थक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य तथा गिद्धा, भांगड़ा, गरबा आदि लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत के दर्पण हैं। ये परंपराएँ गुरु–शिष्य प्रणाली और लोक परंपरा की सतत धारा के माध्यम से संरक्षित होकर आज तक जीवित बनी हुई हैं।

भारतीय सांस्कृतिक विरासत में संगीत मात्र मनोरंजन का साधन न होकर साधना, आध्यात्मिक अनुभूति और सामाजिक जीवन का आधार रहा है। मानव जीवन का कोई भी पड़ाव-जन्म से मृत्यु तक-ऐसा नहीं जिसमें संगीत किसी न किसी रूप में उपस्थित न रहा हो। यही कारण है कि संगीत और समाज का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और अविच्छिन्न माना गया है; दोनों ही एक-दूसरे को निरंतर प्रभावित और समृद्ध करते रहते हैं।

इतिहास साक्षी है कि जैसे-जैसे मानव समाज का विकास हुआ, वैसे-वैसे संगीत कला भी नए आयामों से समृद्ध होती चली गई। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक यह कला असंख्य पड़ावों से गुजरी है। बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों ने समय-समय पर संगीत के स्वरूप, शैली और प्रस्तुति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। इन परिवर्तनों को दिशा देने में विभिन्न कालों के शासकों, संरक्षणकर्ताओं और प्रशासन का योगदान भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है।

भारतीय विरासती कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में प्रशासन की भूमिका :

भारतीय प्रशासन ने समय-समय पर विरासती कलाओं को संरक्षण, प्रोत्साहन और नवनवीन अवसर प्रदान करने का कार्य किया है जो भारतीय कला-संस्कृति के सतत विकास के लिए संजीवनी सिद्ध हुआ है। भारत सरकार ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कलाओं को संरक्षित एवं समृद्ध करने हेतु एक सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय की स्थापना की। इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना है।

सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय अकादमियों-जैसे संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी तथा साहित्य अकादमी-का गठन किया गया जो अपनी-अपनी कलाओं के विकास और संरक्षण में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत की विविध क्षेत्रीय कलाओं को संरक्षित करने और उन्हें राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने हेतु भारत सरकार ने देश की सात दिशाओं में सात प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की। इन केन्द्रों का उद्देश्य प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की विशिष्ट कला-परंपराओं का संवर्धन, संरक्षण और प्रसार करना है।

इन सांस्कृतिक केन्द्रों का भौगोलिक विस्तार इस प्रकार है-

- उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - पटियाला, पंजाब
- दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - तंजावुर, तमिलनाडु
- पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - दीमापुर, नागालैंड
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - उदयपुर, राजस्थान
- पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - नागपुर, महाराष्ट्र
- उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र - इलाहाबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश

इन प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा दो महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए जो इस प्रकार हैं-

1. केन्द्रों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाए जहाँ समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपलब्ध हो।
2. जोन केन्द्रों के मुख्यालय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व वाली इमारतों में स्थापित किए जाएँ, ताकि उनका वातावरण स्वयं कला-संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन सके। (indianmirror.com)

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.ज़ेड.सी.सी.), पटियाला: स्थापना एवं कार्यविधि

भारत की उत्तरी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रसार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.ज़ेड.सी.सी.) की स्थापना 6 नवम्बर 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा की गई। इस केन्द्र का उद्घाटन पंजाब के ऐतिहासिक नगर पटियाला स्थित शीश महल में हुआ जो अपने कलात्मक वैभव और स्थापत्य सौंदर्य के कारण स्वयं एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। बढ़ती गतिविधियों, प्रशासनिक विस्तार और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2007 में केन्द्र का मुख्यालय शीश महल से स्थानांतरित करके भाषा विभाग के विरसा विहार केन्द्र में स्थापित किया गया। (culturenorthindia.com) यह नया परिसर केन्द्र की सांस्कृतिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों को और अधिक गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

यह केन्द्र पिछले चार दशकों से निरंतर कला-संस्कृति के क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके सुचारु संचालन और विकास में विभिन्न केन्द्र निदेशकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन निदेशकों की नामावली एवं कार्यकाल इस प्रकार है-

1. श्रीमती गीतिका कालहा (6.11.1985 – 4.7.1991)
2. श्री ए. एस. छतवाल (4.7.1991 – 12.5.1992)

3. श्री एस. के. आहलूवालिया (26.8.1999 – 05.8.2008)
4. श्री भगवान शंकर (5.9.2008 – 12.1.2009)
5. श्री डी. एस. सरोआ (12.1.2009 – 10.1.2014)
6. प्रो. आर. एस. गिल (11.1.2014 – 10.1.2017)
7. श्री मोहम्मद फुरकान खान (10.1.2017 – 7.2.2018)
8. प्रो. सौभाग्यवर्धन (7.2.2018 – 6.2.2021)
9. श्री मोहम्मद फुरकान खान (13.6.2022 – वर्तमान)

"इस केन्द्र का पंजीकरण पंजीकरण समिति के अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक संस्था के रूप में किया गया।" (शर्मा, साक्षात्कार) अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने कुल 49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की, जिसमें से प्रत्येक प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्र को 2 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त इस कोष से उत्पन्न वार्षिक ब्याज लगभग 3 करोड़ रुपये भी सभी केन्द्रों के मध्य समान रूप से वितरित किया जाता है। मैं स्वयं संगीत की शोधार्थी हूँ, इसलिए मैंने अपने शोधपत्र को विरासती कला की उन शाखाओं पर केंद्रित किया है, जिनका प्रत्यक्ष संबंध संगीत और नृत्य विद्या से है।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के उद्देश्य

1. **सांस्कृतिक चेतना का उत्थान:** जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित लोगों में सांस्कृतिक चेतना का विकास तथा अपनी विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इस केन्द्र का प्रमुख ध्येय है।
2. **मिश्रित सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ बनाना:** ऐसे कार्यक्रमों और गतिविधियों को बढ़ावा देना जो विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त एवं मिश्रित सांस्कृतिक परंपराओं को अधिक सशक्त बनाते हों।
3. **लोक एवं जनजातीय कलाओं का संरक्षण:** लोक और जनजातीय कला–संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष प्रयास करना तथा इन्हें व्यापक मंच प्रदान करना।
4. **युवा पीढ़ी के मध्य सांस्कृतिक संवाद:** ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जिनके माध्यम से विभिन्न राज्यों के युवा विचार–गोष्ठियों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक आदान–प्रदान की गतिविधियों के द्वारा एक-दूसरे से जुड़ें और भारतीय सांस्कृतिक विरासत की व्यापक समझ प्राप्त करें।
5. **अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा:** ऐसे आयोजन करना जो राज्यों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करें, तथा आवश्यकतानुसार उप–केन्द्रों की स्थापना कर इस उद्देश्य को और प्रभावी बनाना।
6. **केन्द्र का सुचारु प्रबंधन:** केन्द्र की समस्त चल-अचल संपदा का संरक्षण, देखरेख, व्यवस्थापन और प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. **शोध एवं शैक्षिक कार्यों का प्रोत्साहन:** सांस्कृतिक विरासत से संबंधित शोध और शैक्षिक प्रयासों के लिए छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करना, ताकि नई पीढ़ी में अनुसंधान के प्रति उत्साह उत्पन्न हो।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियाँ

किसी भी संस्था की वास्तविक सफलता उसके निर्धारित उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति में निहित होती है, और उसकी कार्यप्रणाली ही उसकी मजबूती का आधार बनती है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला, अपने उद्देश्यों के अनुरूप अनेक योजनाओं का आयोजन करता है, जिनमें से सात प्रमुख योजनाएँ सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई हैं। ये योजनाएँ मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नियमित रूप से क्रियान्वित की जाती हैं।

सात प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं-

1. नैशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम
2. गुरु–शिष्य परम्परा
3. नौजवान प्रतिभाशाली पुरस्कार योजना
4. प्रकाशन एवं अभिलेखन
5. शिल्पग्राम गतिविधियाँ
6. ओक्टेव
7. थिएटर मानचित्र

इनमें से प्रथम तीन योजनाओं ने केन्द्र की गतिविधियों को विशेष व्यापकता और गति प्रदान की है। इनके महत्त्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित हैं-

1. नैशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम: इस योजना का शुभारंभ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा वर्ष 1995–96 में किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और सांस्कृतिक क्षेत्रों के मध्य आपसी समझ, सामंजस्य और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाना है। योजना का प्रमुख लक्ष्य लोककला, संगीत, नृत्य, नाटक, हस्तकला, चित्रकला आदि विधाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से कलाकारों को व्यापक मंच प्रदान करना तथा नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना है।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र अपने जोन-पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख-के कलाकारों को अन्य राज्यों में भेजता है। इसी प्रकार अन्य जोनों से कलाकारों को उत्तर भारत में आमंत्रित किया जाता है। यह सांस्कृतिक संगम संगीत महोत्सव, लोक महोत्सव, नाट्य कार्यशालाओं, चित्र-प्रदर्शनियों, कवि-सम्मेलनों और प्रशिक्षण शिविरों के रूप में आयोजित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र द्वारा नियमित रूप से भाग लिए जाने वाले प्रमुख उत्सव–

1. सिंधु दर्शन उत्सव – लेह, लद्दाख
2. विरासत लोक गीत एवं विरासत महोत्सव – उत्तराखण्ड
3. शुलिनी मेला – सोलन, हिमाचल प्रदेश

4. आम मेला – पिंजौर (चंडीगढ़)
5. तीज महोत्सव – चंडीगढ़
6. अन्तर्राष्ट्रीय मिंजर मेला – चंबा, हिमाचल प्रदेश
7. जनजातीय उत्सव – कीलॉन्ग, हिमाचल प्रदेश
8. बाबा शेख फरीद आगमन पर्व – फरीदकोट, पंजाब
9. अन्तर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा – कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
10. अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव – कुरुक्षेत्र, हरियाणा
11. हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन – जालंधर, पंजाब
12. उतरायणी मेला – बागेश्वर, उत्तराखण्ड
13. सूरजकुंड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला – हरियाणा
14. गुलाब महोत्सव – चंडीगढ़

केन्द्र द्वारा विरासती कलाओं को समर्पित अनेक विशेष उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है, जिनमें बसंत उत्सव, सावन उत्सव और होली महोत्सव जैसे मौसमी संस्कृतिक पर्वों को विशेष कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। (culturenorthindia.com) इन आयोजनाओं ने लोकपरंपराओं को नई ऊर्जा प्रदान की है। साथ ही, केन्द्र ने शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियों का आयोजन कर वरिष्ठ कलाकारों और नवोदित प्रतिभाओं-दोनों-को मंच प्रदान किया है, जिससे उत्तरभारत की सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षण मिला बल्कि नई पीढ़ी तक इसका प्रभावी संवहन भी सुनिश्चित हुआ।

गुरु-शिष्य परम्परा योजना: भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सबसे प्राचीन एवं सशक्त परंपराओं में से एक गुरु-शिष्य परम्परा है। "इसी परम्परा को पुनर्जीवित करने और दुर्लभ, लुप्तप्राय तथा पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने वर्ष 2003 में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया"। (शर्मा, साक्षात्कार)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को क्षेत्रीय विशेषज्ञों एवं प्रख्यात गुरुओं से प्रत्यक्ष प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की सूक्ष्मताओं को गहराई से समझ सकें और आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र ने अपने सभी सदस्य राज्यों में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है।

इस योजना के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण पद्धति को पुनः प्रतिष्ठित किया गया है। सुप्रसिद्ध गुरुओं को सहयोग प्रदान किया गया तथा शिष्यों को दुर्लभ कलाओं में प्रशिक्षण का अवसर मिला। साथ ही, केन्द्र द्वारा गुरु-शिष्य दलों के लिए समीक्षात्मक कार्यशालाएँ और प्रस्तुतीकरण आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। "वर्ष 2023–24 तक 157 दुर्लभ एवं लुप्तप्राय लोक/आदिवासी कला रूपों में, 450 गुरु, 547 सहायक गुरु तथा 2770 शिष्य इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं"। (वार्षिक प्रतिवेदन प्र-4)

इस गुरु-शिष्य परंपरा योजना से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह योजना विभिन्न लुप्तप्राय लोक कलात्मक विधाओं पर केंद्रित है। लोक संगीत एवं लोक वाद्यों की शिक्षा के लिए एक गुरु, एक संगतकार तथा पाँच शिष्यों का चयन किया जाता है। वहीं, लोक नृत्य विधाओं की शिक्षा हेतु एक गुरु, दो संगतकार तथा आठ शिष्यों का समूह गठित किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि तीन से छह माह तक निर्धारित की जाती है। "वर्ष 2025 से प्रारम्भ 'लोक विरासत' इस योजना का एक महत्त्वपूर्ण विस्तार है जिसके अंतर्गत आयोजित कार्यशालाओं में गुरु-शिष्य परंपरा योजना के तहत प्रशिक्षित विद्यार्थी लुप्तप्राय एवं विरासतगत कलाओं का मंचीय प्रदर्शन करते हैं। केंद्र द्वारा लोक संगीत, लोक वाद्य एवं लोक नृत्य से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है तथा योग्य गुरु, संगतकार और शिष्यों का चयन किया जाता है। वर्ष 2003–2004 में योजना के प्रारंभिक चरण में दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीमित थी। उस समय गुरु को 2000 रुपये प्रति माह, संगतकार को 1000 रुपये प्रति माह तथा शिष्यों को 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती थी। वर्ष 2013–2014 में इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई। इस अवधि में गुरु को 5000 रुपये प्रति माह, संगतकार को 2500 रुपये प्रति माह तथा शिष्यों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने लगे। यह वृद्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि योजना को सांस्कृतिक संरक्षण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था। वर्ष 2023–2024 में गुरु-शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत वित्तीय संरचना में उल्लेखनीय सुधार किया गया। इस अवधि में गुरु को 7500 रुपये प्रति माह, संगतकार को 3750 रुपये प्रति माह तथा शिष्यों को 1500 रुपये प्रति माह राशि प्रदान की जाती है। यह वृद्धि सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत विरासतगत कलाओं के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है"।(शर्मा साक्षात्कार)

नौजवान प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार योजना: युवा कलाकारों में छुपी प्रतिभा को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में नौजवान प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई। यह योजना 18 से 31 वर्ष की आयु तक के उन नवोदित कलाकारों को अवसर प्रदान करती है जो अपने पूर्वजों की कलात्मक विरासत को संजोए हुए हैं तथा उसे आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र अपने सदस्य राज्यों में प्रतिभाशाली युवाओं की खोज कर विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय मंच तक पहुँचने का अवसर देता है। इस योजना ने अनेक युवा कलाकारों को समाज में पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी कलाकार बनने की दिशा में प्रेरित किया है। यह नई पीढ़ी को विरासत कलाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। (जगजीत सिंह साक्षात्कार)

अभिलेखन एवं प्रकाशन गतिविधियाँ: उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र ने अभिलेखन और प्रकाशन के क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया है। लोक संगीत, लोक रंगमंच और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की विलुप्त होती परंपराओं को संरक्षित करने हेतु केन्द्र ने संगीतज्ञों, शोधकर्ताओं एवं

विशेषज्ञों की सहायता से ऑडियो–विज़ुअल दस्तावेज़ीकरण का विस्तृत कार्य कराया है। "केन्द्र के पास 200 से अधिक चलचित्रों का समृद्ध संग्रह है, जिसमें प्रमुख मेले एवं उत्सव, लोक कलाएँ एवं लोक वाद्य, शिल्प मेले, विशिष्ट विभूतियों के जीवन एवं योगदान, संग्रहालय, मंदिर एवं कला-प्रदर्शनियाँ, ग्रामीण संस्कृति एवं जीवन-शैली का विस्तृत अभिलेखन सम्मिलित है।" (वार्षिक प्रतिवेदन प्र-4)

वर्षों से केन्द्र लोककला एवं संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों-जैसे मेले, उत्सव, रंगमंच समारोह, कार्यशालाएँ, चित्रकला प्रदर्शनियाँ, नृत्य एवं गायन–वादन शिविर-का आयोजन करता आ रहा है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों, सीमावर्ती जनपदों, सैनिक छावनियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सदस्य राज्यों के उपमंडलों में आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र शोधार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, संगोष्ठियों एवं सेमिनारों का आयोजन, लोक एवं शास्त्रीय कलाओं पर प्रकाशन, फिल्म एवं ऑडियो दस्तावेज़ तैयार करना, जैसी गतिविधियों के माध्यम से अत्यंत सराहनीय योगदान दे रहा है।

उपलब्धियाँ

इस समग्र अध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला ने भारतीय विरासत कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी उपलब्धियाँ निम्न बिंदुओं में स्पष्ट की जा सकती हैं-

1. **लुप्तप्राय कलाओं का संरक्षणः** केन्द्र ने ध्रुपद शैली, सारंगी, रबाब, दिलरुबा जैसे दुर्लभ वाद्यों तथा लोक नाट्य परंपराओं को संरक्षण प्रदान किया है। इनके ऑडियो–विज़ुअल रिकार्ड तैयार कर स्थायी सांस्कृतिक दस्तावेज़ सुरक्षित किए गए हैं।
2. **कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करनाः** लोक एवं शास्त्रीय कलाकारों, विशेषकर ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों से आने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में केन्द्र अग्रणी रहा है। नौजवान प्रतिभाशाली कलाकार योजना ने अनगिनत युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं।
3. **राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करनाः** राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम ने विभिन्न राज्यों की कला–संस्कृतियों को जोड़ा है, जिससे विविधता में एकता की भावना को और मजबूती मिली है।
4. **शोधार्थियों के लिए मूल्यवान सामग्रीः** ऑडियो–वीडियो रिकार्डिंग, अभिलेखन एवं प्रकाशनों के माध्यम से केन्द्र ने शोधार्थियों, कलाकारों एवं विद्वानों को समृद्ध शोध–सामग्री उपलब्ध कराई है।
5. **नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़नाः** पश्चिमी प्रभावों के बीच केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं ने युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः परिचित कराया है। कत्थक, भरतनाट्यम, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों से लेकर हिमाचल की नाटी, पंजाब का गिद्धा–भंगड़ा, जम्मू–कश्मीर का रौफ और राजस्थान के घूमर जैसे लोकनृत्यों को सक्रिय प्रोत्साहन दिया गया है।

चुनौतियाँ एवं सुझाव

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के समक्ष सांस्कृतिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी-चारों स्तरों पर कुछ प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं–

1. **वित्तीय संसाधनों की कमीः** लुप्तप्राय लोक, शास्त्रीय और जनजातीय कलाओं को संरक्षित करने के लिए बड़े धन की आवश्यकता होती है। सीमित संसाधनों के कारण कलाकारों को मिलने वाला मानदेय अपर्याप्त होता है।
2. **युवा पीढ़ी का बदलता रुझानः** आधुनिक संगीत, पॉप संस्कृति और तकनीकी मनोरंजन की ओर युवाओं का बढ़ता आकर्षण पारंपरिक कलाओं के लिए चुनौती है। कार्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित करने की आवश्यकता है कि वे युवाओं के लिए अधिक प्रेरक बनें।
3. **प्रचार–प्रसार की सीमित पहुँचः** केन्द्र के कार्यक्रम प्रायः विशेष वर्ग-विद्यार्थियों, शोधार्थियों और कला–प्रेमियों-तक सीमित रह जाते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का व्यापक उपयोग कर भारतीय लोक–शास्त्रीय कलाओं का वैश्विक प्रचार आवश्यक है।
4. **निजी एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताः** संस्कृति संरक्षण के लिए निजी संस्थानों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और विदेशी सांस्कृतिक संगठनों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों की अत्यधिक आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विस्तृत अध्ययन से यह तथ्य प्रकट होता है कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एन.ज़ेड.सी.सी.) पटियाला भारतीय सांस्कृतिक विरासत-विशेषकर संगीत, नृत्य, लोककला और जनजातीय परंपराओं-के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार में एक अग्रणी और निर्णायक संस्थान के रूप में उभरा है। अपनी स्थापना के चार दशकों के दौरान यह केन्द्र न केवल उत्तरी भारत की लोक–परंपराओं को सहेजने में सफल हुआ है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विशिष्ठ पहचान भी दिला पाया है।

केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम, गुरु-शिष्य परम्परा योजना, नौजवान प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार, अभिलेखन एवं प्रकाशन-ने विरासत कलाओं के संरक्षण को नई दिशा प्रदान की है। इन योजनाओं ने दुर्लभ और लुप्तप्राय कला रूपों को सुरक्षित किया, ग्रामीण एवं उपेक्षित क्षेत्रों के कलाकारों को मंच दिया और युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः जोड़ने का अनुपम कार्य किया। विशेष रूप से गुरु-शिष्य परम्परा के अंतर्गत हजारों गुरुओं, सहायकों और शिष्यों को दिया गया प्रशिक्षण इस केन्द्र की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से है।

यह केन्द्र केवल परंपराओं को संरक्षित करने का स्थल भर नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सशक्त केंद्र है-जहाँ शास्त्रीय और लोक, परंपरा और आधुनिकता, स्थानीय और राष्ट्रीय-सभी धाराएँ एक ही मंच पर मिलती हैं। विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित कर केन्द्र ने "विविधता में एकता" की भारतीय अवधारणा को सार्थक रूप से सुदृढ़ किया है।

यद्यपि केन्द्र के समक्ष वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक एवं आधुनिक पॉप–संस्कृति के प्रभाव जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी आवश्यकता केवल समुचित वित्त, उन्नत तकनीकी संरचना, डिजिटल प्रचार–प्रसार एवं निजी–अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विस्तार की है। यदि इन सुझावों पर पर्याप्त रूप से कार्य किया जाए तो यह केन्द्र न केवल उत्तर भारत बल्कि सम्पूर्ण देश की विरासत कलाओं का विश्वस्तरीय संरक्षक, संवाहक और संवर्धक बन सकता है।

अतः स्पष्ट है कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला भारतीय विरासती कलाओं का जीवंत अभिरक्षक, प्रचंड प्रेरक और दूरदर्शी संवाहक है जिसने परंपराओं को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि उन्हें वर्तमान और भविष्य से जोड़कर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन को नई ऊर्जा प्रदान की है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. निकम, अैन.ए, भारतीय संस्कृति की कुछ अवधारणाएँ, इंडियन इंस्टीटयूट आफ अैडवांस स्टडीज़, शिमला, 1967, पृ.11
2. विद्यालंकार, (डॉ.) सत्यकेतु, भारतीय संस्कृति का विकास, श्री सरस्वती सदन मसूरी 1979, पृ. 43
3. www.indianmirror.com
4. www.culturenorthindia.com
5. शर्मा, रविन्द्र, सहायक निर्देशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, व्यक्तिगत संचार, 20 अगस्त 2025, साक्षात्कार, डा. ज्योति शर्मा
6. www.culturenorthindia.com
7. शर्मा, रविन्द्र, सहायक निर्देशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, व्यक्तिगत संचार, 20 अगस्त 2025, साक्षात्कार, डा. ज्योति शर्मा
8. वार्षिक प्रतिवेदन, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, 2023-24, पृ. 4.
9. जगजीत सिंह, सहायक सचिव, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, व्यक्तिगत संचार, 25 अगस्त 2025, साक्षात्कार, डा. ज्योति शर्मा
10. वार्षिक प्रतिवेदन, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, 2023-24, पृ. 4.
11. निकम, अैन. ए. भारतीय संस्कृति की कुछ अवधारणाएँ. इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ़ एडवांस स्टडीज़, शिमला, 1967, पृ. 11.
12. विद्यालंकार, डॉ. सत्यकेतु. भारतीय संस्कृति का विकास. श्री सरस्वती सदन, मसूरी, 1979, पृ. 43.
13. Indian Mirror. www.indianmirror.com.
14. Culture North India. www.culturenorthindia.com.
15. शर्मा, रविन्द्र, सहायक निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला. व्यक्तिगत संचार, 20 अगस्त 2025, साक्षात्कार, डॉ. ज्योति शर्मा.
16. जगजीत सिंह, सहायक सचिव, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला. व्यक्तिगत संचार, 25 अगस्त 2025, साक्षात्कार, डॉ. ज्योति शर्मा.
17. वार्षिक प्रतिवेदन, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला, 2023–24, पृ. 4.